

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2023/ 226

दिनांक 20/01/2023

प्रार्थीगण :-

1. खीयाराम पुत्र जुगताराम
2. गवरी पत्नि जुगताराम
3. जीयाराम 4. पैमाराम 5. भेराराम
6. कुम्भाराम 7. कानाराम पि.
जुगताराम, जाति जाट,
निवासी खारिया डेर

विप्रार्थीगण:-

1. भलाराम 2. अमराराम पि. गोरधनराम 3. सुखाराम 4. राजूराम पि. हनुमानराम
5. विश्वाराम पुत्र लाला के का.मु. :- 5/1. भगवानाराम 5/2. कंवराराम
6. अचलाराम पुत्र गुमनाराम के का.मु. :- 6/1. जोगाराम 6/2. सोनाराम 6/3.
अमराराम 6/4. हनुमानराम 6/5. केसराराम 6/6. रूपाराम 7. खेताराम 8. केसराराम
पि. प्रहलादराम 9. रूखमणाराम पुत्र सिरामाराम, जातियान जाट, 10. हीराराम पुत्र
अचलाराम 11. वगताराम पुत्र जगरूपाराम, जातियान दर्जी, निवासी खारिया डेर
12. मूलाराम 13. उकाराम पि. भीखाराम, जातियान भील, निवासी देदूसर, तहसील
चौहटन 14. तहसीलदार चौहटन

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज. भू. राजस्व अधिनियम

वास्ते करने नेखमबंदी बाबत ।

राजस्व आवेदन सं. 119/2022

दिनांक : 17.01.2023

आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र बीजराड़ के मौजा खारिया डेर के खेत खसरा सं. 438 रकबा 32.1239 हैक्टेयर भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमि की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करें।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है। प्रार्थीगण कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।



क्रमांक/भू.अ./2023/ 227 to 230

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थीगण खीयाराम वगैरा
3. विप्रार्थीगण भलाराम वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड़/धौरीमन्ना/धनाऊ

उपखण्ड अधिकारी

चौहटन अधिकारी

दिनांक

20/01/2023



(भागीरथ शर्मा II)

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी

चौहटन